

न्यू जर्सी में विशेष शिक्षा

न्यू जर्सी शिक्षा विभाग, विशेष शिक्षा कार्यालय

यदि आप किसी प्रीस्कूल के बच्चे या छात्र (3 से 2१ वर्ष की आयु) के विषय में चिन्तित हैं क्योंकि उसका विकास या प्रज्ञता सामान्य से अलग है, तो आप उस बालक/बालिका के निवास के स्कूल ज़िला में फ़ोन कर सकते हैं। ज़िला फ़ोन नंबर तथा पते इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं- <https://homeroom5.doe.state.nj.us/directory/> -१-८००-३२२-८१७४ (1-800-322-8174)

जहाँ तक संभव होता है, अक्षमता वाले छात्र एवं प्रीस्कूल के छात्रों को उनके हम उम्र सहकर्मियों के साथ ही पढ़ाया जाता है। सामान्य कक्षा में स्थान ही पहला उद्देश्य होता है। प्रीस्कूल के छात्र के लिये यह स्कूल ज़िला सामान्य शिक्षा प्रीस्कूल कार्यक्रम, या लाइसेंस प्राप्त अथवा सरकारी संस्था द्वारा अनुमोदित गैर-साम्प्रदायिक बचपन कार्यक्रम (अर्ली चाइल्डहुड) हो सकता है। अधिक जानकारी के लिये देखें <http://www.nj.gov/njded/specialed>

विषय	प्रक्रिया
रेफरल	यदि ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे में अक्षमता है और उसे विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाओं की आवश्यकता है, तब मूल्यांकन हेतु स्कूल ज़िला को एक लिखित अनुरोध दिया जाता है। इस लिखित अनुरोध को रेफरल कहा जाता है। यदि स्कूल ज़िला मूल्यांकन का निर्णय ले, तब मूल्यांकन दल परीक्षण और अन्य प्रक्रियाओं के प्रकार का चयन करता है जिनसे यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को विशेष शिक्षा एवं सेवाओं की आवश्यकता है अथवा नहीं।
पहचान बैठक	रेफरल पाने के २० दिन के अंदर, स्कूल ज़िला बैठक द्वारा यह निर्धारित करेगी कि मूल्यांकन होगा अथवा नहीं। यदि निर्णय मूल्यांकन के पक्ष में होता है, तो समूह परीक्षण एवं उन अन्य प्रक्रियाओं का चयन करेगी जिससे यह तय होगा कि बच्चे को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है अथवा नहीं।
मूल्यांकन	मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिससे यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को विशेष शिक्षा एवं सेवाओं की आवश्यकता है अथवा नहीं। इस प्रक्रिया के दौरान प्रासंगिक तथ्यों की समीक्षा, किसी भी परीक्षण का व्यक्तिगत क्रियान्वयन, आकलन तथा बच्चे का अवलोकन किया जाता है। सार्थक मूल्यांकन के लिये अन्य विशेषज्ञों के साथ साथ कम से कम २ बाल अध्ययन सदस्यों का प्रारंभिक मूल्यांकन में भाग लेना आवश्यक है।
पात्रता	मूल्यांकन की समाप्ति पर स्कूल ज़िला विशेष शिक्षा एवं संबंधित सेवाएं पाने के इच्छुक छात्र की पात्रता निर्धारित करने के लिये एक साहयोगिक बैठक बुलाती है। बैठक से पहले माता पिता को मूल्यांकन की एक प्रति तथा अन्य संलेख जिनसे छात्र की पात्रता निर्धारित की जाती है, स्कूल ज़िला द्वारा दिया जाना आवश्यक है। यह जानकारी बैठक से कम से कम १० दिन पहले माता-पिता को दी जानी चाहिए। विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाएं पाने के लिये <ul style="list-style-type: none"> • छात्र की अक्षमता उपयुक्त श्रेणियों में से होनी चाहिए • अक्षमता के कारणवश छात्र के शैक्षिक प्रदर्शन में प्रतिकूल प्रभाव होना • छात्र को विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होना
व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम- इंडुविज्युलाइज्ड एडुकेशन प्रोग्राम (IEP)	विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाओं के लिए छात्र की पात्रता निर्धारित होने के बाद, छात्र का व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम- इंडुविज्युलाइज्ड एडुकेशन प्रोग्राम (आई.ई.पी) विकसित किया जाता है। यह एक लिखित योजना है जिसमें छात्र के विशेष शिक्षा कार्यक्रम के विषय में विस्तार से बताया जाता है। यह प्रक्रिया माता-पिता एवं स्कूल ज़िला के बीच बच्चे के विकास और शिक्षा के विषय में एक साझा है। आई.ई.पी को छात्र के वर्तमान शैक्षिक प्रदर्शन एवं बच्चे के विशिष्ट अनुदेशात्मक आवश्यकताओं का वर्णन करना चाहिए। आई.ई.पी में परिमेय वार्षिक लक्ष्यों एवं लघु अवधि के उद्देश्यों या मानक का समावेश होना चाहिए। माता-पिता की सहमति मिलने पर आई.ई.पी का कार्यान्वयन शीघ्रतापूर्वक किया जाता है। सामान्यतया आई.ई.पी बैठक के तुरंत बाद या स्कूल द्वारा मूल्यांकन के लिये माता पिता की सहमति प्राप्ति के ९० दिन के अंतर्गत ही यह बैठक बुलाई जाती है। संसाधनों या सार्थक आई.ई.पी के लिये देखें शिक्षकों के लिए उपकरण (टूल्स फ़ोर टीचर्स (Developing Your Child's IEP) at https://www.parentcenterhub.org/pa12/
वार्षिक समीक्षा	सालाना, या अधिक बार यदि आवश्यक हो तो, आई.ई.पी दल के सदस्य समीक्षा तथा संशोधन करने एवं स्थान निर्धारित करने के लिए मिलेंगे।
पुनर्मूल्यांकन	प्रत्येक तीन वर्ष पर या आवश्यकता होने पर उस से भी पहले, या माता पिता एवं शिक्षकों के आग्रह पर बच्चे का पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य है। यदि पात्रता में बदलाव लाने का विचार हो तो पुनर्मूल्यांकन आयोजित किया जाता है।
माता पिता की	कब लें माता-पिता की सहमति?

सहमति	<ul style="list-style-type: none">• विशेष शिक्षा की पात्रता निर्धारित करने के लिये पहले मूल्यांकन से पूर्व• छात्र के विशेष शिक्षा कार्यक्रम के आरंभ से पूर्व• पुनर्मूल्यांकन के परीक्षण से पूर्व; तथा• बच्चों के आलेख किसी व्यक्ति या संगठन को जारी करने से पहले जो सामान्य तौर पर बच्चों के आलेख देखने के लिये अधिकृत नहीं है
-------	---